

UPFR050150992019



Original Civil Suits/1500632/2019
lajjaram Vs. ashok

न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) जनपद फर्रुखाबाद।

मूलवाद संख्या- 632/2019

लज्जाराम बनाम अशोक राजपूत आदि।

दिनांक :-06-01-2025

पत्रावली पेश। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। उभयपक्ष की तरफ से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पत्रावली वास्ते पुनः सुनवाई लंच बाद पेश हो।

(ज्ञानेन्द्र कुमार-1)
अपर सिविल जज (सी०डि०)
फर्रुखाबाद।

लंच बाद:-

पत्रावली पुनः पेश। बार-बार पुकार पर समय 3:30 बजे तक उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उभयपक्ष द्वारा वाद के परिचालन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। उभयपक्ष को पूर्व में अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है किंतु उसके पश्चात भी उभयपक्ष अनुपस्थित है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उभयपक्ष को अब वाद परिचालन में कोई रुचि नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उभयपक्ष की अनुपस्थिति में वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद संख्या- 632/2019 उभयपक्ष की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(ज्ञानेन्द्र कुमार-1)
अपर सिविल जज (सी०डि०)
फर्रुखाबाद।